T.S. 13/12

5-11-22 — वादी एवं प्रतिवादी की ओर से हाजरी पाया / उभय पक्षों के द्वारा अधिवक्ता हड़ताल पर रहा।
वास्ते दिनांक 19/11/22
आदेश।

19-11-2022 — अभिलेख आज प्रतिवादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 18-08-2022 एवं तत्पश्चात् वादी द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक 14-09-2022 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया।

Plaintiff's petition dt. 18/8/22 is rejected.

आदेश

प्रतिवादी संतोष कुमार गुप्ता की ओर से वास्ते प्रतिवादी के साक्ष्य बन्द करने के आदेश दिनांक-31-07-2019 को वापस लेकर प्रतिवादी के साक्ष्य पर रखने हेतु अन्तर्गत आदेश 18 नियम 17 एवं धारा 151 सि० प्र० सं० में दाखिल आवेदन में निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी की ओर से गोदनामा दिनांक 28-10-1990 जो दि० 21-01-2016 को दाखिल किया गया था प्रतिवादी के साक्ष्य के दौरान गोदनामा के साक्षी नुनु बाबू के गोदनामा पर अंकित हस्ताक्षर की पहचान नुनु बाबू के पुत्र संजय कुमार त्रिवेदी के द्वारा अपने साक्ष्य के क्रम में दिनांक 02-07-2019 को हुआ था लेकिन टंकक भूल के कारण उक्त गोदनामा को निदर्श अंकित

T.S-13/12

लगातार
15-11-2022

नहीं किया गया है। उपरोक्त वाद मुल रूप से उक्त गोदनामा पर आधारित है जिसे वाद के अंतिम निर्णय हेतु गोदनामा का प्रदर्श होना आवश्यक है। प्रार्थी के गोदनामा में अंकित है कि प्रतिवादी की माँ एवं श्याम किशोर साह, पिता ने प्रतिवादी को परमेश्वरी देवी को गोद दिया था जिसपर उक्त आशय के संबंध में प्रतिवादी के माता, पिता का हस्ताक्षर स्थित है इसलिए प्रतिवादी साक्षी का साक्ष्य कराकर गोदनामा को प्रदर्श अंकित किया जाना आवश्यक है। यह कि गोदनामा पर सिद्ध साक्षी नुनु बाबू जिनके हस्ताक्षर की पहचान उनके पुत्र संजय कुमार द्विवेदी प्रतिवादी साक्षी सं०-6 ने की थी. के आधार पर नुनु बाबू के हस्ताक्षर को भी प्रदर्श अंकित किया जाना आवश्यक है। यह कि साक्ष्य बंदी आदेश दिनांक 31-07-2019 को वापस लेकर प्रतिवादी के साक्ष्य हेतु रखने में कोई विधिक बाधा नहीं है। अतः निवेदन है कि साक्ष्य बन्दी आदेश दिनांक 31-07-2019 को वापस लेकर प्रार्थी प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने की कृपा की जाय।

वादी द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर में निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 18-08-22 पोषणीय नहीं है एवं खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी द्वारा दाखिल आवेदन में गोदनामा के साक्षी नुनु बाबू का गोदनामा पर स्थित हस्ताक्षर की पहचान उनके पुत्र संजय कुमार द्विवेदी ने अपने प्रतिपरीक्षण में नहीं भी हस्ताक्षर की पहचान की बात नहीं कही है। यह कि गोदनामा दिनांक 28-10-1990 का कहबड़ी प्रूफ किये बिना प्रदर्श अंकित नहीं हो सकता है तथा प्रतिवादी कई सेट में है किसी भी प्रतिवादी ने उक्त गोदनामा की चर्चा प्रदर्श कराने हेतु अपने साक्ष्य के क्रम में नहीं कहा है। प्रतिवादी की मंशा वाद को लंबित रखने तथा वादी को परेशान करने की है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी द्वारा दाखिल आवेदन खर्चा सहित खारिज करने की कृपा की जाय।

अभिलेख तथा अभिलेख पर उपलब्ध गोदनामा तथा प्रतिवादी साक्षी सं०-6 के अभिसाक्ष्य का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त साक्षी का साक्ष्य के क्रम में प्रदर्श अंकित नहीं किया गया था इस तथ्य को न तो प्रतिवादी ने अपने आवेदन में उल्लेख

T.S-13/12

लगातार
19-11-2022

किया है जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी इस तथ्य को छिपाना चाहते हैं।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रस्तुत वाद में न्यायालय आदेश दिनांक 31-07-2019 को वापस लेकर प्रतिवादी साक्ष्य हेतु अभिलेख निश्चित किया जाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जायेगा तथा वादी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः उपरोक्त आवेदन को खारिज किया जाता है।

वादी की ओर से विशेषज्ञ साक्षी की उपस्थिति हेतु सम्मन का उपक्रम अभी तक दाखिल नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में साक्ष्य बन्द किया जाता है और अभिलेख को वादी के बहस हेतु निश्चित किया जाता है।

वाद दिनांक 13-12-2022 वास्ते वादी बहस।

(राजीव कुमार)
मुंसिफ,
भाऊ पहाड़ी